न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 60 / 2020
3. उनवान : सरकार जरिये कविता शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

श्री हजारी लाल पुत्र श्री बूटाराम निवासी प्लाट नम्बर 42बी, भंवर नगर मान्यावास नियर संस्कार मैरिज गार्डन, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 09.07.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर प्रथम कविता शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 24–10–2019 को बड़े घरेलू सिलेण्डरों से छोटे घरेलू सिलेण्डरों में अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायत की जांच हेतु पत्र में अंकित पते पर पहुच कर जांच की गयी। मौके पर उपस्थित हजारी लाल ने स्वयं को मकान का मालिक बताया व घर पर ही वाहनों की रिपेयरिंग व पास की दुकान में फोटोग्राफी का कार्य करना बताया। जांच में कुल 7 सिलेण्डर पाये गये जिनके संबंध में 3 डायरी मौके पर प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त शेष बचे हुए 3 एचपीसीएल सिलेण्डर मय 12.600 किग्रा. एलपीजी के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने की स्थिति में जब्त कर फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। जिसे अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अप्रार्थी को आज भी बारम्बार आवाज दिलवाई गई बावजूद अनुपस्थित है। पत्रावली में एकतरफा बहस पैरोकार सरकार सुनी गई। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 09.07.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 24–10–2019 को जब्त सिलेण्डरों से घरेलू गैस की रिफिलिंग की जा रही थी। मौके पर अप्रार्थी द्वाराघरेलू कनेक्शन की 3 डायरी दिखाने पर उससे संबंधित 4 घरेलू सिलेण्डरों को मौके पर छोड दिया व अन्य सिलेण्डरों को जब्त कर लिया। जब्तशुदा सामग्री के लिये अप्रार्थी द्वारा कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये ना ही संतोषप्रद जवाब दिया गया। प्रकरण में अप्रार्थी अनुपस्थित है। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है। प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्दानुसार प्रार्थी द्वारा जब्त 3 एचपीसीएल सिलेण्डर मय 12.600 किग्रा. एलपीजी को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।